ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री धर्मपाल	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति डिम्पल कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप कुमार	01.04.14 से 22.08.16
2	श्री अरविन्द कुमार	23.08.16 से 28.01.17
3	श्री रविन्दर कुमार	28.01.17 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-

2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.56
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	37.71
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.49
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	5.65
6	10	बिना बिल/वाउचर के अनियमित व्यय	0.50
7	12	IWMP अनुदान राशि से अनियमित भुगतान करने बारे	0.25

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.01.18 से 09.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	07/2014
2015-16	09/2015	08/2015
2016-17	05/2016	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21 दिनांक 09.01.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा ड्राफ्ट संख्या 245405 (KCCB) दिनांक 19.01.18 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुसार निम्न प्रकार से है**:-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	87400	37381	124781	21645	103136
2015-16	103136	90224	193360	69010	124350
2016-17	124350	48824	173174	2190	170984

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1345297	1926885	3272182	1467421	1804761
2015-16	1804761	2817539	4622300	1943942	2678358
2016-17	2678358	3101454	5779812	2008980	3770832

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹170984

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹3770832

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹ 3941816

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3942208.39

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्त्रौत) : ₹206

₹3942414

अन्तर की राशि ₹598

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -6515	171376
13th & 14th FC, PNB -62126	2260536.20
GEN-B, KCCB – 5750	1404445.60
IWMP, PNB – 73609	61156.60
IWMP, PNB – 75528	44693.99
MNREGA, PNB -75519	0
कुल राशि	**₹3942208.39**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹598 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ तथा पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.56 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, मोबाइल टावर फीस एवं शादी पंजीकरण फीस के रूप में दिनांक 31.3.17 को वसूली हेतु निम्न विवरणानुसार ₹56450 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का मांग एवं प्राप्ति का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	19710	19710	16080	3630
2015-16	3630	19710	23340	0	23340
2016-17	23340	19710	43050	0	43050

2. मोबाइल टावर फीस :-

वर्ष	अथशेष	किराये की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	2500	2500	0	2500
2015-16	2500	2500	5000	0	5000
2016-17	5000	5000	10000	0	10000

3. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹3400 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹3400 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
68 (2016)	श्री नीरज शर्मा	11.11.16	25.11.16	200/-
69	श्री सुरजीत कुमार	07.11.16	27.11.16	200/-
70	श्री विकास कोंडल	08.11.16	29.11.16	200/-
71	श्री विशाल	01.12.16	13.12.16	200/-
72	श्री नीरज शर्मा	12.12.16	21.12.16	200/-

73	श्री शशि कुमार	03.12.16	21.12.16	200/-
74	श्री मंजीत	12.12.16	25.12.16	200/-
75	श्री मनीष कुमार	09.12.16	29.12.16	200/-
76	श्री लक्की जसवाल	03.12.16	29.12.16	200/-
01(2017)	श्री कपिल देव	13.01.17	27.01.17	200/-
2	श्री मनीष	17.01.17	27.01.17	200/-
3	श्री संदीप कुमार	27.01.17	20.02.17	200/-
4	श्री मनोज कुमार	28.02.17	06.03.17	200/-
5	श्री अविनीश कुमार	19.02.17	08.03.17	200/-
6	श्री पंकज कुमार	18.02.17	15.03.17	200/-
7	श्री अश्वनी कुमार	14.02.17	15.03.17	400/-
			कम वसूली गई राशि	**₹3400.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 दिनांक 09.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹3400 की वसूली कर ली जाएगी । अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹37.71 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹3770832 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.49 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹349076 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व

आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹5.65 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹565395 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 ₹260 का अनियमित /अधिक भुगतान :-

चयनित माहों में व्यय वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में मिस्त्री को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दर पर भुगतान किया गया था, जिससे पंचायत को ₹260 की हानि हुई थी । अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

मस्ट्रोल संख्या/ वाउचर संख्या	मस्ट्रोल की अवधि	मिस्त्री को भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दर एवं पत्र संख्या	कार्य का नाम	अधिक भुगतान
मस्ट्रोल संख्या - वाउचर संख्या: -/ 17.02.17 (सामान्य रोकड़ वही)	Not mentioned	11 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 2805/-	NO.Fin-(PR)B(7)-33/2010 Dated 17.04.16, Mason: ` 242/-	नि. सम्पर्क मार्ग मेन रोड से दसवां गाँव की ओर	143/-
मस्ट्रोल संख्या - वाउचर संख्या: -/ 14.03.17 (सामान्य रोकड़ वही)	Not mentioned	9 दिन @ ₹255/- प्रतिदिन = 2295/-	NO.Fin-(PR)B(7)-33/2010 Dated 17.04.16, Mason: ` 242/-	नि. सम्पर्क मार्ग मेन रोड से दसवां गाँव की ओर	117/-
कुल अधिक भुगतान					**₹260/-**

उक्त अनियमित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 दिनांक 09.01.18 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 09.01.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि बारे जांच उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त अधिक भुगतान ₹260 की वसूली करने के साथ-साथ चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गये इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की भी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

10 बिना बिल/वाउचर के ₹0.50 लाख का अनियमित भुगतान: –

रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों को ₹50240 के भुगतान दर्शाए गए परन्तु इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में

प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹50240 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

क्र.सं.	निधि का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	कार्य का नाम	राशि
1.	**13th FC Cash Book**	Vr. No. 16 Dated 03.06.15, Bill No – Dated – M/s Desh Raj	नि. नालियाँ सड़क के किनारे व डंगा कैप्टन गुरुदेव की गौशाला से मन्दिर की ओर, W-7	47000.00
2.	**General Cash Book**	Vr. No. - Dated 02/2017, Paid vide Cash Book Page-27	-	3240.00
			कुल राशि	**₹50240.00**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 दिनांक 09.01.18 द्वारा उक्त बिलों को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः अतिशीघ्र उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 निर्माण कार्यों से संबन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न करना :-

जांच में पाया कि मनरेगा के निम्नलिखित कार्यों हेतु प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं परिमाप राशि से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20 दिनांक 09.01.18 द्वारा उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम
1.	C/O Well, Ajeet Singh
2.	C/O Well, Gian Chand

12 IWMP अनुदान से ₹0.25 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

वाउचर संख्या 13 दिनांक 15.07.14 की जांच में पाया कि मस्ट्रोल संख्या 20119 निर्माण कार्य "मु. कुआं गाँव लाहड़ कोटलु" हेतु प्रस्ताव संख्या 29 दिनांक 13.09.13 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कार्य की अवधि दिनांक 14.09.14 से 29.09.14 दर्शाकर ₹25344 (रोकड़ वही पृष्ठ-26) का भुगतान किया गया था। उक्त वाउचर की जांच में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिस बारे शीघ्र स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

1. उक्त वर्णित मस्ट्रोल प्रस्ताव संख्या 29 दिनांक 13.09.13 द्वारा जारी किया गया था जबकि भुगतान दिनांक 15.07.14 को किया गया अर्थात मस्ट्रोल जारी करने से 10 माह पश्चात किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट करें।
2. उक्त वर्णित वाउचर में भुगतान दिनांक 15.07.14 को किया गया जबकि मस्ट्रोल में कार्य की अवधि दिनांक 14.09.14 से 29.09.14 दर्शाई गई अर्थात कार्य से पूर्व भुगतान कर दिया गया

था, जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा भुगतान की गई राशि की सम्बंधित से वसूली करके पंचायत निधि में जमा की जाए।

13 **निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की सही मात्रा का प्रयोग न करना :-**

1. **"नि. डंगा व पुली, तरखान बस्ती " :-** माप पुस्तिका 9160 पृष्ठ 12 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, एवं बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:4:8, 19.477 CUM	19.477X 3.40 = 66 बैग	19.477 X 0.47 = 9.15 CUM	19.477 X 0.89 = 17.33 CUM
P/L C:C 1:2:4, 1.30275 CUM	1.30275 X 6.40 = 8.33 बैग	1.30275 X 0.445= 0.58 CUM	1.30275 X 0.89 = 1.159 CUM
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	74.33 बैग	9.73 CUM	18.489 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार सीमेंट की अपेक्षित खपत 74 बैग के स्थान पर केवल 50 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था, जबकि रेत व बजरी का प्रयोग लगभग मानको के अनुसार ही किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में निर्माण सामग्री की सही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

2. **"नि. रास्ता मेहर चन्द के घर से कंगरू की ओर" :-** माप पुस्तिका 9160 पृष्ठ 15 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, एवं बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	**सीमेंट की अपेक्षित मात्रा**	**रेत की अपेक्षित मात्रा**	**बजरी की अपेक्षित मात्रा**
P/L C:C 1:3:6, 21.84 CUM	21.84 X 4.40 = 96 बैग	21.84 X 0.47 = 10.26 CUM	21.84 X 0.89 = 19.43 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार सीमेंट की अपेक्षित खपत 96 बैग के स्थान पर केवल 59 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था, जबकि रेत व बजरी का प्रयोग लगभग मानको के अनुसार ही किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में निर्माण सामग्री की सही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

14 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अधिशेष निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके रादानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
7. खाता बहियाँ (प्रारूप–7)

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)52/2018 खण्ड–1–4311–4314 दिनांक14.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881